

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
एकादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, फैजाबाद

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-05/अधी0अभि0/एकादशम्/2016-17

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित मुहरबन्द निविदायें वर्गीकृत श्रेणी में सिंचाई विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक:04.01.2017 को अपराह्न 1.00 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता, एकादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, फैजाबाद, के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी तिथि को अपराह्न 4.00 बजे निविदा समिति/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक:02.01.2017 से 03.01.2017 तक कार्यालय अवधि में सायं 4.00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड फैजाबाद, अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड बाराबंकी, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड टाण्डा अम्बेडकर नगर के कार्यालय एवं पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा फैजाबाद से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा क्रय करने हेतु (1) वैध पंजीकरण (2) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1) (3) हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-2) की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगा तथा उनकी सत्यापित प्रतियां भी ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया हुआ हो, ही जमा करने के पश्चात् निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

घरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फैजाबाद के पक्ष में बन्धक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

क्र0	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	घरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0	पंजी0 श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	फैजाबाद शाखा से निकलने वाले तीन अद्द राजबहों के आंतरिक सेक्शन सुधार हेतु मिट्टी का कार्य। (अ)पौसरा राजबहा किमी0 0.000 से किमी0 13.000 तक। (ब)भदौली राजबहा किमी0 0.000 से किमी0 10.000 तक। (स)चांदपुर राजबहा किमी0 0.000 से किमी0 12.000 तक।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	42.00	0.90	03माह	300+ वैट+ 2000 स्टेशनरी	"बी" एवं उच्च	


प्रत्येक निविदादाता को-

- 1- ₹0-100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरे 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय बिक्रीकर, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी तथा सेस देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की अवशेष सिक्वोरिटी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफओडीओआर0, राष्ट्रीय बचत पत्रों अथवा एक वर्षीय डाकघर सावधि के माध्यम से ही जमा करना अनिवार्य होगा।
- 2- मात्र उन्हीं प्रतिनिधियों को निविदा पत्र विक्रय किये जायेंगे जो ठेकेदार द्वारा 100.00 के स्टैम्प पर शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिनिधि होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। शपथ पत्र नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- 3- यह निविदा सूचना सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://irrigation.up.nic.in> पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://irrigation.up.nic.in> से भी डाउनलोड की जा सकती है किन्तु इसकी लागत सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फ़ैजाबाद के नाम राष्ट्रीय बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ IDT-1, IDT-2, IDT-3 व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में वे सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता के कार्यालय से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे। वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता के कार्यालय में बिक्री प्रपत्र में उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो इन कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा।
- 4- कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 5- राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा साकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 6- एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।
- 7- यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदा दाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
- 8- यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदा दाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदा दाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उससे साध किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- 9- निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्रय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सील निविदा को इसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराके (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त कराई जायेगी, जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके सम्बन्धित उपखण्डीय/खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेंगे ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व निविदा बाक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें, निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्य

- दिवस पूर्व तक ही प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के बिलम्ब के कारण यदि कोई निविदा बिलम्ब से प्राप्त होती है तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
- 10- प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदा दाता ने **IDT-1, IDT-2, IDT-3** तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक-ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदा दाता द्वारा दी गई दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
 - 11- ठेकेदारों से अनुरोध है कि निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें।
 - 12- चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, रव घोषणा प्रमाण-पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेंगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल सविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
 - 13- निविदा में अंकित कार्य की मात्रा घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
 - 14- शासनादेश सं०-622-23-12-2012-2आडिट/08 टी०सी०/दिनांक:08.06.2012 के अनुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा एक प्रतिशत से 10प्रतिशत तक दर कम होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कमी पर तथा 10प्रतिशत से अधिक दरों की कमी पर प्रति एक प्रतिशत कमी पर एक प्रतिशत अतिरिक्त परफार्मेंस धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।
 - 15- न्यूनतम दर की निविदा दाता द्वारा अनुबन्ध हेतु समस्त प्रपत्र व प्रतिभूति धनराशि निविदा स्वीकार किये जाने के तीन दिवस के अन्दर दिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वयं निरस्त मान ली जायेगी एवं कार्य किसी अन्य निविदा दाता को आवंटित कर दिया जायेगा।
 - 16- निविदा दाता द्वारा स्थायी लेखा संख्या (PAN) एवं व्यापारी पहचान संख्या (TIN) दिया जाना आवश्यक है।
 - 17- फर्म को शुगतान के समय नियमानुसार करों की कटौती बीजकों से की जायेगी।
 - 18- निविदा दाता को निविदा क्रय करते समय आरकर एवं व्यापारकर विभाग से प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - 19- निविदा आभंत्रण की कार्यवाही घनावंटन की प्रत्याशा में की जा रही है तथा घनावंटन प्राप्त होने पर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी।

Additional Condition to be made part of the general condition of Contract:-

- 1- If any person whosoever is found actively associated with mafia and unsocial element or engaged in organized crime or is a mafia of mafia shall be disqualified from bidding.
- 2- Even if it comes to knowledge after award of a contract that the, contractor is associated with mafia and unsocial element or engaged in organized crime or is a mafia, the contract will be cancelled after serving a show cause notice and if the contractor repeating the same, then the proceeding of black listing him shall also be initiated.
- 3- If found that contractor or the bidder has threatened the other bidders or prevented them from bidding the tender/contract will be cancelled.
- 4- Any advocate registered in state bar council will not be authorized. If it comes in knowledge that contractor is a state bar council registered advocate the contract will be cancelled after having been satisfied of this fact.


अधीक्षण अभियन्ता
एकादशम् मण्डल, सिविल कार्य,
2012 फर्रुखाबाद
